myneta.info Maharashtra Election Watch

ADR Association for Democratic Reforms

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 18 जून, 2015

एडीआर ने महाराष्ट्र मंत्रीपरिषद से यह निवेदन किया है कि सीआरपीसी एक्ट में किए गए संशोधन को वापस लिया जाना चाहिए

अब आम नागरिकों को विधायकों एंव नौकरशाहों के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करने से पहले सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी।

महाराष्ट्र मंत्रीपरिषद ने हाल ही में क्रिमिनल प्रोसिज़र कोड के एक प्रोविज़न में संशोधन किया है जिसके बाद किसी भी जनता के प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले अनुमति लेनी होगी जैसे की किसी भी विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले विधानसभा के सभापति से तथा नौकरशाहों के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले प्रमुख सचिव से अनुमति लेनी होगी। यह निर्णय पंचायतो एंव नगरपालिका/नगर परिषद के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए भी लागू होता है।

एडीआर के फांउडर मेम्बर प्रोफेसर जगदीप छोकर के अनुसार, ''महाराष्ट्र मंत्रीपरिषद का यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ़ है जो कि भारत के किसी भी नागरिक को कानून एंव कानून के अर्न्तगत मिलने वाली सुरक्षा की समानता का अधिकार देता है। यह निर्णय विधायक एंव नौकरशाहों को ज़्यादा सुरक्षा देती है और उन्हे आम नागरिक के उपर प्राथमिकता देती है।''

एडीआर द्वारा महाराष्ट्र के विधायकों के शपथपत्रों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि **2014 के चुनाव के समय 165 यानि 57 प्रतिशत विधायकों ने अपने उपर आपराधिक मामले घोषित किये थे जिनमें से 51 यानि 31 प्रतिशत के खिलाफ आरोप तय हो चुके** हैं। विधायकों द्वारा आपराधिक मामले घोषित करने के आधार परं महाराष्ट्र भारत में झारखंड के बाद सबसे अधिक आपराधिक मामले घोषित करने वाला राज्य है। महाराष्ट्र में 3 विधायको ने अपने खिलाफ हत्या एंव हत्या का प्रयास के मामले घोषित किये हैं जबकि 11 विधायकों ने अपने खिलाफ़ महिलाओं के ऊपर अत्याचार, 3 विधायकों ने सम्प्रदायिक अशान्ति फैलाने से सम्बन्धित मामले, 14 विधायकों ने लूट एंव डकैती से सम्बन्धि तमामले तथा 9 विधायकों ने अपहरण के मामले घोषित किये है।

हाल ही मे हुए नवी मुम्बई के लोकल बाडी इलेक्शन में भी 105 विजेताओं में से 17 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किये है जिनमें से 13 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। वसाई विरार सिटी नगरपालिका के चुनाव में 102 में से 17 यानि 17 प्रतिशत ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं। हांलाकि सीआरपीसी में किया गया यह संशोधन सांसदो के लिए लागू नही होता है पर यह बात जाननी ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदो की संख्या भी बहुत अधिक है। **48 सांसदो में से 31 यानि 65 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले** घोषित किये है।

महाराष्ट्र विधानसभा एंव नगरपरिषद/नगरपालिका के इतने गंभीर आंकड़ो को देखते हुए एफआईआर दर्ज करने के प्रयास को रोकने के लिए किया गया यह संशोधन ना सिर्फ विधायिका बल्कि देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए भी एक खतरा है। यह निर्णय चुने हुए प्रतिनिधियों के जवाबदेही को सीमित करता है तथा नौकरशाहों को कानून एंव न्याय के परिपालन से सुरक्षा देता है।

एडीआर महाराष्ट्र सरकार से यह निवेदन करती है कि सीआरपीसी में किया गया यह संशोधन भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धान्तो के खिलाफ है। यह नागरिकों को अपने भ्रष्ट एंव आपराधिक विधायकों एंव नौकरशाहों के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोकता है।

महाराष्ट्र के विधायकों, स्थानीय निकाय चुनावों एंव वसई विरार सिटी नगरपालिका के विजेतओं की पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए निम्नलिखित रिर्पोटों को देखें–

1. Analysis of Criminal and Financial background details of Newly Elected MLAs in Maharashtra - http://adrindia.org/research-and-report/election-watch/state-assemblies/maharashtra/2014/winners-report-analysis
2. Analysis of Criminal and Financial background details of Winners in Navi Mumbai Municipal Election 2015 - http://adrindia.org/research-and-report/election-watch/local-bodies/maharashtra/2015/analysis-criminal-and-financial-0
3. Analysis of Criminal, Financial, Education, Gender and Other Background Details of Winners - Vasai Virar City Municipal Corporation Elections 2015 - http://adrindia.org/research-and-report/election-watch/local-bodies/maharashtra/2015/analysis-criminal-financial-0

Maj. Gen. Anil Verma (Retd.)
Head, ADR and NEW
+91-8826479910,
+91-8010394248
anilverma@adrindia.org

Prof. Trilochan Sastry
Founder Member
ADR and NEW
Professor, IIM Bangalore
+91-94483-53285
trilochans@iimb.ernet.in

Prof. Jagdeep Chhokar
Founder Member
ADR and NEW
Former Director IIM-A
+91-99996-20944
jchhokar@gmail.com